निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रंसस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया,रानीखेत (अल्मोड़ा)

☎ 05966–220260,222792 📠 05966–221074

माली प्रशिक्षण हेतु सूचना

विज्ञप्ति संख्याः–4

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, जिला– अल्मोड़ा द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए राजकीय उद्यान, चौबटिया में संचालित 60 प्रशिक्षार्थियों हेतु (स्वरोजगार अपनाने के लिये)एक वर्षीय माली प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से निम्न मानदण्ड, विवरणानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। एक वर्षीय माली प्रशिक्षण की अवधि में अभ्यर्थियों को फल उत्पादन, पौधशाला एवं उद्यान प्रबंधन, कीट एवं व्याधि नियंत्रण, उत्तर फसल प्रबंधन, मौनपालन, सब्जी, पुष्प एवं फल उत्पादन, भूमि एवं जल प्रबंधन, शोभाकार वाटिका तैयार करने से संबंधित विषयों के साथ–साथ अन्य औद्यानिक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा और प्रशिक्षण अवधि में प्रयोगात्मक कार्य भी कराये जायेंगे।

अतः माली प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड के इच्छुक अभ्यर्थी, सादे कागज पर निम्न प्रारूप में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड, उद्यान भवन,चौबटिया,रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के नाम आवेदन पत्र भेज सकते हैंः–

1– अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता कक्षा 5 उत्तीर्ण होनी चाहिए।

2– अभ्यर्थी की आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

3– प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के रहने हेतु आवास की व्यवस्था अधीक्षक, राजकीय उद्यान, चौबटिया (अल्मोड़ा) द्वारा की जायेगी।

4– खाने तथा अन्य व्यवस्थायें प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं वहन करनी होगी।

5– प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के माध्यम से जनपदवार प्रवीर्णता (मेरिट) के आधार पर प्रशिक्षण हेतु चयन किया जायेगा।

6– प्रशिक्षण की अवधि में चयनित प्रशिक्षणार्थियों को रू0 200.00 (रू0 दो सौ मात्र) की छात्रवृत्ति प्रतिमाह देय होगी।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1– अभ्यर्थी का नाम

2– पिता का नाम

3– स्थाई पताः–

4– पत्र व्यवहार का पताः–

फोटो चिपकायें

5– जन्म तिथिः– 01.07.2012 को आयु वर्ष { } माह { } दिन { }

6– शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो संलग्न करनी होगी।

7– जाति का उल्लेख करते हुवे जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

8– आवेदन पत्र के साथ एक पासपोर्ट साईज फोटो भी संलग्न करनी होगी।

7– अभ्यर्थियों को अपना पूर्ण स्पष्ट पता लिखा हुआ **4"X 8"** का पांच रूपये का एक टिकट लगा हुआ लिफाफा भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा ।

कमशः पेज–2

8— आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 08,जून,2012 है। आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 08 जून,2012 को सायं 5.00 बजे तक लिये जायेंगे।

9— निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

10— परीक्षा केन्द्र, साक्षात्कार/लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना, उपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों के आधार पर संबंधित अभ्यर्थी को पृथक से भेजी जायेगी।

11— किसी भी कार्यदिवस में सांय 5:00 बजे तक निदेशालय उद्यान,उद्यान भवन, चौबटिया से माली प्रशिक्षण संबंधी जानकारी, व्यक्तिगत संपर्क कर भी प्राप्त की जा सकती है।

12— महिला अभ्यथियों को रहने व खाने की व्यवस्था अपने स्तर से स्वंय वहन करनी होगी।

13— प्रशिक्षण में सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार निम्न तालिका में दिये गये वर्ग वार श्रेणी के अनुसार सीट आरक्षित की गई है। ये सीटें प्रवीणता (मेरिट) सूची के आधार पर जनपदवार भरी जाएगी।

जनपदवार आंवटित सीटो का विवरण

जनपद	वर्गवार आरक्षित सीटें				
	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछडी जाति	कुल योग
अल्मोडा	3	1	—	1	5
नैनीताल	3	1	—	1	5
पिथौरागढ	3	1	1	—	5
उद्यमसिह नगर	2	1	—	1	4
बागेश्वर	3	1	—	—	4
चम्पावत	2	1	—	1	4
पौडी	3	1	—	1	5
टिहरी	3	1	—	1	5
चमोली	3	—	1	—	4
उत्तरकाशी	3	1	—	1	5
देहरादून	3	1	1	—	5
हरिद्वार	3	1	—	1	5
रूद्रप्रयाग	3	1	—	—	4
कुल सीटें	**37**	**12**	**3**	**8**	**60**

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड